

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

8/7 BPL-DIV

क्रमांक / बोर्ड / योजना / गैर.तक / 2098

भोपाल, दिनांक 30/7/12

प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय(समस्त)

विषय :- कृषि विपणन पुरस्कार योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन बाबत।

-000-

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड में आदेश क्रमांक 210 दिनांक 28.01.2008 से कृषि विपणन पुरस्कार योजना लागू है। यह देखने में आ रहा है कि उक्त योजना में संतोषजनक रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आपके संभाग अंतर्गत कृषि विपणन पुरस्कार योजना नियमित एवं सुचारु रूप से लागू हो एवं निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जायें :-

1. योजना की कठिनाई--2 योजना के स्वरूप अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया में ही कूपन जारी किये जायें।
2. ईनामी कूपन जारी करने का मंडी कार्यालय में एक अलग से स्थान नियत किया जायें एवं उस स्थान पर संबंधित सूचना लगायी जावे। कर्मचारी विशेष को यह कार्य लिखित रूप से सौंपा जायें।
3. ड्रा निकालने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाय एवं योजना में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया जायें।
4. पुरस्कार योजना के ड्रा निर्धारित तिथियों पर ही खोले जायें।
5. पुरस्कार वितरण की मंडीवार जानकारी आवश्यक रूप से मुख्यालय को प्रेषित की जाये।

संलग्न :- योजना की प्रति।

(अज्ञातशुद्ध श्रीवास्तव)

प्रबंध संचालक

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल